दावा इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीगण :– श्री अरविंद यादव,एडवोकेट उपस्थित
प्रतिवादी संख्या 01 :– श्री कुलदीप आहुजा, एडवोकेट उपस्थित

—:: निर्णय ::—

सुक्ष्म में वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 93 रकबा 0.77है0, 91 रकबा 0.82है0, 92 रकबा 0.05है0 वाके ग्राम बालियावास तहसील तिजारा जिला अलवर मे स्थित है। जो इस वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा बयनामा, इन्तकालात जमाबन्दी सम्वत 2052 व हाल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उपरोक्त विवादित आराजी जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 01 पूरणमल के नाम दर्ज थी, जो आराजी प्रतिवादी संख्या 01 पूरणमल को अपनी बहिनो क्रमंश मूर्तिदेवी, रामदेई, अनारोदेवी की सहमति से तन्हा अपने पिता से विरासत मे मिली थी। उपरोक्त विवादीत हाल आराजी खसरा नंबर 93 रकबा 0.77है0, 91 रकबा 0.82है0, 92 रकबा 0.05है0 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 पूरणमल से उसकी बहिनो की सहमति से जरिये रजि. बयनामा दिनांक 09.03.1995 को समस्त प्रतिफल रकमा अदा कर बाकब्जा हम वादीगण ने खरीद की थी, जिसकी रकम भी प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी बहिनो से आपस मे बांट ली थी। जिसे बयनामेंजात उपपंजीयक कार्यालय तिजारा के यहांसे निष्पादित कराया है। जिन बयनामों के अनुसार हम वादीगण के नाम इन्तकाल संख्या 398,399,400 दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकॉर्ड मे हम वादीगण के नाम का अमल दरामद हो गया। वर्णित बयनामा में मानसिंह पुत्र गोहरसिंह ने भी मुताबिक बयनामा हिस्सा जमीन खरीद की थी, मानसिंह का देहान्त हो चुका है। जिसके विधिक वारिसान वादी संख्या 2 व 3 है, मानसिंह का हिस्सा वादी संख्या 2 व 3 को प्राप्त हुआ है। हम वादीगण आराजी के खरीददार, काबिज खातेदार काश्तकार है और हम वादीगण वक्त खरीद से ही आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 पूरणमल ने अपनी बहिनो मूर्तिदेवी, अनारोदवी व रामदेई ने साज बाज होकर अपनी बहिनो मूर्तिदेवी, अनारोदेवी व रामदेई से एक अपील संख्या 08/20 बअनुवान मूर्तिदेवी आदि बनाम ग्राम पंचायत, पालपुर इन्तकाल संख्या 227 (जो प्रतिवादी संख्या 1 पूरणमल [illegible] विरासत दर्ज हुई) के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के यहा दायर कर दी। जबकि [illegible] तथ्य यह है कि उक्त इन्तकाल संख्या 277 प्रतिवादी सं. 1 की बहिनो ने तन्हा प्रतिवादी सं 1 के [illegible] अपनी स्वेच्छा से दर्ज व मन्जूर कराया था और फिर मिलीभगत कर हम वादीगण के हकको [illegible] करने की गरज से अपील मे हम वादीगण को पक्षकार मुकदमा बनाये बिना, अदालत श्रीमान् [illegible] गुमराह कर गलत [illegible] पेश कर उपखण्ड अधिकारी के दिनांक 09.10.2022 का विरासत इन्तकाल सं. 277 निरस्त कर प्रतिवादी सं. 1 व उसकी बहिनो के नाम समभाग 1/4 भाग मे मृतक यादराम की विरासत दर्ज करने का आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.07 16:51:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

रेत कर दिया। इन्तकाल की कार्यवाही फिसीकल कार्यवाही है। जिससे प्रतिवादीगण को सम्पत्ति मे ई अधिकार हासिल नहीं होते है। वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 16 के नाम का गलत अमल चला आ रहा है, जो गलत अमल हम वादीगण के हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर नाकाबिले पाबन्दी है। हम वादीगण ने आराजी के पूर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 पूरणमल के नाम त अमल जमाबन्दी में होने व उसकी बहिनो व परिवार वालो की सहमति से विवादित आराजी की समस्त प्रतिफल रकम अदा कर बाकब्जा, जमीन को जरिये पंजीकृत बयनामा के खरीद की है। हम वादीगण आराजी के सदभावी केता है तथा हम वादीगण के नाम विधि अनुसार बयनामा के अनुसार इन्तकालात दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमय आया है। बाद बेचान प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा. 16 आराजी से गैरकाबिज, गैरवास्ता है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी बहिनो से साजिशी तौर पर अपील दायर कराकर अदालत श्रीमान् को गुमराह कर आदेश पारित किया है। अब मूर्तिदेवी व रामदेई का देहान्त हो चुका है। मूर्ति देवी के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 है व रामदेई के वारिसान प्रतिवादीगण सं. 6 लगायत 16है, आनारोदेवी जीवित है। वर्तमान में समस्त प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 10 के नाम का गलत अमल चला आ रहा है, जो हम वादीगण के हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे हम वादीगण पंजीकृत बयनामा व इन्तकालात संख्या 398, 399 व 400 के अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 16 के नाम से हजफ कर हम वादीगण के नाम खातेदार कांश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा हम वादीगण, ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। हम वादीगण वक्त खरीद से ही अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर हम वादीगण का वास्तविक कब्जा है, रिहायश हेतु मकानात बनाये हुये व बिजली व नल कनैक्शन लिया हुआ है। हम वादीगण को कानून कायदे की कतई जानकारी नही है और ना ही हम वादीगण को गलत अमल की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है। हम वादीगण ने अपनी पारिवारिक जरूरत के लिए विवादित आराजी की जमाबन्दी ली तो गलत अमल की जानकारी मिली, जिस पर समस्त दस्तावेजात लेकर कानूनी राय मशवरा कर हम वादीगण मुकदमा की कार्यवाही करने में लग गये और अब दिनांक 28.05.2023 को प्रतिवादीगण सं 1 लगा.16 ने ऐलानिया तौर से धमकी दी कि विवादित आराजी रिकार्ड में हमारे है और विवादित को किसी दीगर जगह बेचान कर वादीगण को बेदखल करेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इन नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो हम वादीगण को अजहद हानि होगी। हम वादीगण को दीगर मुकदमे में फसला पडेगा तथा अपनी खरीदशुदा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी से महरूम होना पडेगा। जिसकी कीमत रूपयों में आंकी जाना सम्भव नहीं होगी। इसलिए हम वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है तथा ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी पाने के अधिकारी है। हम वादीगण,विवादित आराजी पर वक्त खरीद से ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर हम वादीगण का वास्तविक कब्जा है। हम वादीगण के हित कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए हम वादीगण को अपने हकूको की रक्षार्थ दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दावा हाजा हेतु बिनाय दावी वो बिनाय मुखासमत दिनांक ... को प्रतिवादीगण ने गलत अमल की आड में विवादित आराजी की किसी दीगर जगह बेचान कर वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी है, से पैदा होकर दावा हाजा साधारणतया अवधि अन्दर प्रस्तुत है। दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.07 15:51:47 IST
Reason: SelfAttested

जाता है। इसलिए उपपंजीयक महोदय, राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर [illegible] तहसीलदार को प्रतिवादी सं. 17 व 18 की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। विधिक व्यक्ति के विरुद्ध वाद पत्र पेश करने से पहले अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 के बाद का लिखित नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। परन्तु प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 16 गलत अमल की आड में विवादित आराजी को किसी दीगर जगह बेचान कर उसका दस्तावेज बयनामा आदि प्रतिवादी सं. 17 उपपंजीयक महोदय के यहां निष्पादित कराने की धमकी दी है। इसलिए दावा अरजेन्ट नेचर का हो गया है। इसलिए अब लिखित नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए बिना नोटिस दिये ही दावा हाजा पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 अलग से पेश किया जा रहा है। विवादित आराजी व पक्षकारान अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार के है। दावा हाजा की सुनवाई का अदालत श्रीमान को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद पत्र पर नियमानुसार कोर्ट फीस व तलबाना फीस नियमानुसार चस्पा कर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र कि वाद, हम वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि विवादित हाल आराजी खसरा नं 93 रकबा 0.77है0, 91 रकबा 0.82है0, 92 रकबा 0.05है0 वाके ग्राम बालियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। हम वादीगण, आराजी के खरीददार काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण ने जो साजिशी तौर पर उपखण्ड अधिकारी को गुमराह कर जो निर्णय पारित कराया है और जिसके आधार पर उन्होंने अपने नाम का अमल कराया है। इन्तकाल की कार्यवाही किरीकल कार्यवाही है। जिससे प्रतिवादीगण को सम्पत्ति में कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 16 के नाम का गलत अमल चला आ रहा है, जो गलत अमल हम वादीगण के हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। हम वादीगण ने आराजी के पूर्व खातेदार प्रतिवादी सं. 1 पूरणमल के नाम का अमल जमाबन्दी में होने व उसकी बहिनो व परिवार वालों की सहमति से विवादित आरजी की समस्त प्रतिफल रकम अदा कर बाकब्जा जमीन को जरिये पंजीकृत बयनामा के खरीद की है। हम वादीगण आराजी के सदभावी केता है तथा हम वादीगण के नाम विधि अनुसार बयनामा के अनुसार इन्तकालात दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल आया है। वाद बेचान प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 10 आराजी से गैरकाबिज, गैरवास्ता है। वर्तमान में समस्त प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 16 के नाम का गलत अमल चला आ रहा है, जो वादीगण के हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है।, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे हम वादीगण पंजीकृत बयनामा व इन्तकालात संख्या 398,399,400 के अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 16 के नाम को हजफ कर हम वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा हम वादीगण, ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्दराज की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है। डिकी इजराय हुक्मईम्तनाई दवामी पारित की जाकर प्रतिवादीगण को इस कदर से पावन्द फरमाया जावे कि वो विवादित हाल आराजी खसरा नंबर 93 रकबा 0.77है0, 91 रकबा 0.82है0, 92 रकबा 0.05है0 वाके ग्राम बालियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित हैं, से हम वादीगण को उनकी खरीदशुदा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी से जबरन बेदखल न ही करें, ना ही कब्जा काश्त वादीगण में मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न करें, ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण करें, ना ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 16 गलत अमल की आड में किसी दीगर जगह रहन बैया हिबा आदि से मुन्तकिल कर उसका कोई भी दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 17 उपपंजीयक महोदय के यहां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.07 16:51:47 IST
Reason: SelfAttested

ष्पादित करें। मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति समस्त पूरी तरह से पाबन्द रहे। हर्जा खर्चा मुकदमा म वादीगण को प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 16 से दिलाया जावें। अन्य दादरसी जो अदालत श्रीमान चित समझे हम वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाई जावें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर , प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तदपश्चात् वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बरूये राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रस्तुत राजीनामा निम्न प्रकार है कि उक्त अनुवान प्रकरण मे हम वादीगण का प्रतिवादी स. 1 पूरणमल से मौजीज लोगो की मौजूदगी में राजीनामा हो गया है। राजीनामा इस कदर हुआ है कि हम वादीगण , प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 16 के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 01 पूरणमल के नाम विवादित भूमि में जो 1/4 भाग का अंकन आया है, वह अंकन वादीगण द्वारा कराये गये बयनामेजात दिनांक 09.03.1995 व इसके आधार पर दर्ज इन्तकाल संख्या 398,399 व 400 के विपरीत है। जिन्हे वादीगण 1/4 भाग तक जो अंकन प्रतिवादी सं. 1 पूरणमल के नाम दर्ज है, की हद तक बातिल वो बेअसर करार दिलाकर प्रतिवादी सं. 1 पूरणमल के नाम भूमि में जरिये इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त कर वादीगण अपने का अंकन कराने के अधिकारी है चूँकि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 पूरणमल द्वारा ही पूर्व मे ही वादीगण को विक्रय की जा चुकी है। जिस डिक्री से प्रतिवादी सं. 1 पूरणमल का कोई ऐतराज नही है और ना ही भविष्य में प्रविवादी सं. 1 पूरणमल व उसके वारिसान कोई क्लेम या उज्र करेगे। प्रार्थना पत्र बरूये राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 16 का नाम दावा हाजा से हजफ किया जाकर हम वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 पूरणमल के नाम भूमि 1/4 भूमि का खातेदार काश्तकारा घोषित कर ईश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री पारित की जावे।

वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वरूये राजीनामा के संबध मे उपस्थित वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 मय अधिवक्ता सुना जाकर, वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता श्री अरविंद यादव, एडवोकट एंव प्रतिवादी सं01 की पहचान अधिवक्ता श्री कुलदीप आहुजा, एडवोकेट द्वारा कराई जाकर, मुताबिक राजीनामा वादपत्र निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। राजीनामा वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 की उपस्थित में तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 17,18 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने उपस्थित उभयपक्षकरान की बहस सुनी। मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि विवादीत आराजी खसरा नंबर 93 रकबा 0.77है0, 91 रकबा 0.82है0, 92 रकबा 0.05है0 वाके ग्राम बालियावास तहसील तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा में प्रतिवादीगण सं. 01 पूरणमल पुत्र यादराम के नाम दर्ज हॉल राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा 1/4 को हजफ किया जाकर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.82है0 पर वादी संख्या 01 को 1/8भाग व वादी संख्या 2 व 3 को 1/8 भाग समभाग आराजी खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.07 15:51:47 IST
Reason: SelfAttested

2 रकबा 0.05है0, 93 रकबा 0.77है0 पर वादी संख्या 2 व 3 को 1/8भाग समभाग व वादी संख्या 4 व 5 को 1/8भाग समभाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव प्रतिवादी सं. 2लगा0 16 की हद तक वाद खारिज किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे खर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा, आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.07 15:51:47 IST
Reason: SelfAttested